प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 1027 / रा. आर. ए. / 2022 दिनांकः 11 / 07 / 2022

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा योजित अपील संख्या–01/2022 एवं अपील संख्या–02/2022 के सम्बन्ध में, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2022 को निर्गत आदेश के द्वारा गठित समिति की आख्या**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा योजित अपील संख्या–01/2022 एवं अपील संख्या–02/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2022 को निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 06.07.2022 तथा दिनांक 08.07.2022 को बैठक आयोजित की गयी, जिसकी संयुक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनीत कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा योजित अपील संख्या–01/2022 एवं अपील संख्या–02/2022 के सम्बन्ध में, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2022 को निर्गत आदेश के द्वारा गठित समिति की आख्याः–

श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या 01/2022 तथा अपील संख्या 02/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2022 को आयोजित सुनवाई में पारित आदेश के बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित है किः–

3. We also constitute a joint Committee comprising of the PCCF, Bageshwar, District Magistrate, Bageshwar and the Regional office, CPCB. The District Magistrate, Bageshwar will be the nodal agency for compliance. Report may be furnished to this Tribunal before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF." List for Further consideration on 29.04.2022.

उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 06.07.2022 को जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय बागेश्वर में बैठक आयोजित की गयी। प्रकरण में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की को उनका पक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 08.07.2022 को पुनः बैठक आयोजित की गयी जिसकी सूचना अपीलकर्ता को दी गयी। श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा दिनांक 07.07.2022 को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि वह दिनांक 08.07.2022 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं हो पायेंगे, तथा उनको बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व अवगत कराया जाये। उक्त के सम्बन्ध में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की के द्वारा एक पत्र दिनांक 07.07.2022 भी प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 08.07.2022 को जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में पुनः समिति की बैठक आयोजित की गयी। अपील संख्या 01/2022 तथा अपील संख्या 02/2022 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

01. श्री केदार सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भवान सिंह नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर व श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल बिलाड़ी में 16.236 है0 भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टे हेतु दिनांक 26.07.2016 को आवेदन किया गया। उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पत्रांक 1056/रीडर –खनन/2016, दिनांक 17.12.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रकरण में आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाली भूमि का कुल रकवा 15.155 है0 है। आवेदक के पक्ष में कुल 79 काश्तकारों द्वारा पृथक पृथक नोटरीकृत अनापत्ति दी गयी है जिसे राजस्व निरीक्षक, बागेश्वर द्वारा सत्यापित किया गया है। उपनिदेशक खनन की आख्या पत्र संख्या 226/जि0टा0फो0/गौण खनिज–53/ 2016–17, दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि आवेदक श्री रमेश चन्द्र सिंह गढ़िया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ग्राम नायल बिलाड़ी में 16.236 है0 क्षेत्र में आवेदन किया था, उसी क्षेत्र में मै0 शिव शक्ति माइन एण्ड मिनरल्स द्वारा भी आवेदन किया गया है जिस कारण वह मात्र 15.155 है0 में ही खनन पट्टा हेतु इच्छुक आवेदन किया गया है, अवशेष क्षेत्र में ग्राम नायल में खनन पट्टे हेतु अन्य आवेदन पत्र प्राप्त नहीं है। उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक द्वारा पत्र संख्या 177/जि0टा0फो0/गौण खनिज–31/2016–17, दिनांक 28.11.2016 के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री केदार सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भवान सिंह, नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर व श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के

ग्राम नायल बिलाड़ी में 16.236 है0 संशोधित 15.155 है0 क्षेत्र पर सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2016 को आवेदित क्षेत्र में उपरोक्त विवरणानुसार सोपस्टोन/टाल्क की उपलब्धता दृष्टिगत रखते हुए दैवीय आपदा को छोड़कर पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शर्तों/सुझावों का पालन करने की दशा में उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर की आख्या पत्र संख्या 1389/9–2 बागेश्वर, दिनांक 08.12.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र 02 किमी0 की दूरी पर है, खडिया खनन में पर्यावरण में पडने वाले दुष्प्रभावों की जांच पर्यावरणीय तकनीकी समिति से करवाया जाना उचित होगा। उक्त आख्याओं में संस्तुति के आधार पर आवेदित 16.236 है0 के सापेक्ष संशोधित 15.155 है0 भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टे हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 1220/तीस–87/खनन/2015–16, दिनांक 27.06.2017 के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, भोपालपानी बड़ासी (कड़ईखाले), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1000/VII-1/2017/2 सोपस्टोन/17, देहरादून, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के माध्यम के खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया। आशय पत्र की शर्तों के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.02.2020 को लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की भी उपस्थित थे। श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा उक्त लोक सुनवाई में खनन पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति जतायी गयी जो कि उक्त लोक सुनवाई के कार्यवृत्त में भी दर्ज है। उक्त लोक सुनवाई तथा अन्य मानकों के अनुरूप ही राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा खनन पट्टे हेतु पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान की गयी। आवेदक द्वारा आशय पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन के उपरान्त ही उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 964/VII-A-1/2021/2–सोपस्टोन/17, दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के द्वारा आवेदक श्री केदार सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भवान सिंह नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर व श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के पक्ष में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के अनुमति पत्र संख्याः 166/तीस–खनन/2020–21, दिनांक 22 नवम्बर 2021 के द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया गया तथा स्वीकृत क्षेत्र से सोपस्टोन का खनन कर, परिवहन किया गया। वर्तमान में वर्षाकाल के दृष्टिगत, सोपस्टोन खनन क्षेत्रों के खनन कार्य बन्द है।

02. श्री मनीष नन्द किशोर अग्रवाल पुत्र श्री नन्द किशोर चतुर्भुज अग्रवाल निवासी 17 चौथा फ्लोर महर्षि अपार्टमेन्ट, सिविल अस्पताल के पीछे शाहीबाग, अहमदाबाद, गुजरात व श्री विमल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल निवासी आनन्द भवन, जतरगली, लक्ष्मीगंज ग्वालियर, मध्यप्रदेश के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल बिलाड़ी में 11.352 है0 भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टे हेतु दिनांक 31.05.2016 को आवेदन किया गया। उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या पत्रांक 1003/रीडर–खनन/2015–16, दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भूमि का कुल रकवा 10.841 है0 है। आवेदकगणों के पक्ष में 45 काश्तकारों द्वारा पृथक–पृथक नोटरीकृत अनापत्ति दी गयी है, जिसमें राजस्व निरीक्षक बागेश्वर द्वारा सत्यापन आख्या

प्रस्तुत की गयी है। उपनिदेशक खनन की आख्या पत्र संख्या 156/जि0टा0फो0/ गौण खनिज–49/2016–17, दिनांक 07.09.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में वर्ष 2010 में श्री सुरेश सिंह शाही के पक्ष में प्रा0ला0 स्वीकृत है, जिनके द्वारा वर्तमान तक खनन पट्टे हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा आवेदकगणों के पक्ष में खनन कार्य हेतु अनापत्ति दी गयी है। उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक की आख्या पत्र संख्या 94/जि0टा0फो0/गौण खनिज–49/2016–17, दिनांक 12.07.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल कतिपय शर्तों/सुझावों की अनुपालना की स्थिति में उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर की आख्या पत्र संख्या 97/9–2 बागेश्वर, दिनांक 13.07.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र 02 किमी0 की दूरी पर है, खडिया खनन में पर्यावरण में पडने वाले दुष्प्रभावों की जांच पर्यावरणीय तकनीकी समिति से करवाया जाना उचित होगा। उपरोक्त प्राप्त आख्याओं के आधार पर आवेदित 11.352 है0 के सापेक्ष संशोधित 10.841 है0 भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टे हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी बागेश्वर कार्यालय के पत्र संख्या 250/तीस–82/खनन/ (2015–16)/17, दिनांक 22.07.2017 के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, भोपालपानी बड़ासी (कड़ईखाले) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3066/VII-1/2018/11–सोपस्टोन /17, देहरादून, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के माध्यम के खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया। आशय पत्र की शर्तों के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 31.01.2020 को लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की भी उपस्थित थे। श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा उक्त लोक सुनवाई में खनन पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति जतायी गयी जो कि उक्त लोक सुनवाई के कार्यवृत्त में भी दर्ज है। उक्त लोक सुनवाई तथा अन्य मानकों के अनुरूप ही राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा खनन पट्टे हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी। आवेदक द्वारा आशय पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन के उपरान्त ही उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1613(1)/VII-A-1/2021/11 सोपस्टोन /17, दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के द्वारा आवेदक श्री मनीष नन्द किशोर अग्रवाल पुत्र श्री नन्द किशोर चतुर्भुज अग्रवाल निवासी 17 चौथा फ्लोर, महर्षि अपार्टमेन्ट, सिविल अस्पताल के पीछे शाहीबाग, अहमदाबाद, गुजरात व श्री विमल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल निवासी आनन्द भवन, जतरगली, लक्ष्मीगंज ग्वालियर मध्यप्रदेश के पक्ष में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के अनुमति पत्र संख्याः 321/तीस–खनन/ 2020–21, दिनांक 29 दिसम्बर 2021 के द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया गया तथा स्वीकृत क्षेत्र से सोपस्टोन का खनन कर, परिवहन किया गया। वर्तमान में वर्षाकाल के दृष्टिगत, सोपस्टोन खनन क्षेत्रों के खनन कार्य बन्द है।

उपरोक्त दोनो प्रकरणों 1. श्री केदार सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भवान सिंह नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर व श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासी गडेरा, तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल बिलाड़ी में 16.236 है0 भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टे हेतु प्रस्तावित स्थल में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के द्वारा दिनांक 13.02.2020 को लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

लोक सुनवाई में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की भी उपस्थित थे। श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा उक्त लोक सुनवाई में खनन पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति जतायी गयी जो कि उक्त लोक सुनवाई के कार्यवृत्त में भी दर्ज है।

2. श्री मनीष नन्द किशोर अग्रवाल पुत्र श्री नन्द किशोर चतुर्भुज अग्रवाल निवासी 17 चौथा फ्लोर, महर्षि अपार्टमेन्ट, सिविल अस्पताल के पीछे शाहीबाग, अहमदाबाद, गुजरात व श्री विमल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल निवासी आनन्द भवन, जतरगली, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल विलाड़ी में 11.352 है0 भूमि में सोपस्टोन के खनन पट्टे हेतु प्रस्तावित स्थल में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के द्वारा दिनांक 31.01.2020 को लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में अपीलकर्ता श्री सूरज सिंह कार्की भी उपस्थित थे। श्री सूरज सिंह कार्की द्वारा उक्त लोक सुनवाई में खनन पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति जतायी गयी जो कि उक्त लोक सुनवाई के कार्यवृत्त में भी दर्ज है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग, के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 844/VII-1/2015/68-ख/2015, देहरादूनः दिनांकः 31 जुलाई, 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्राविधानों के अनुरूप ही शासन द्वारा सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है। उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 में भूकम्प सक्रिय क्षेत्रों में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान उल्लेखित नही है। जनपद बागेश्वर में खनिज सोपस्टोन के सम्बन्ध में जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुपालन हेतु प्रदेश में राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) का गठन किया गया है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा, प्रदान की जाती है।

(रूना उरांव)
वैज्ञानिक-'घ'
केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी बागेश्वर।